राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज – I I : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

कमांक: दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1402 / 2015 / 10048 दिनांक: 12.8.2015 18

श्री अशोक कुमार,
म0 न0 डबल्यू जैड–343,
नरायणा गॉव,
नई दिल्ली–110028.

उप निदेशक (राजस्व) के0 / के0उ0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री अशोक कुमार के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 27–07–2015 (आई0डी0न0 9131) का निपटान किया गया।

दिनांक 12.08.2015 को अपील की सुनवाई की गई नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित हुए एवं श्री राकेश शर्मा, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0प0)– I I I, अशोक विहार,, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुए ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 08.05.2015 को अपीलकर्त्ता ने सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था जो जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को नहीं मिल पाया । सहायक जनसूचना अधिकारी के पास प्रथम अपील की प्रतिलिपि भी सुनवाई के एक दिन पहले ही मिलने के कारण अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाए ।

जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के पारित होने के तीस दिन के अन्दर अपीलकर्ता को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

EXECUTIVE ENGINEER ... D/. No. 4308 Date 19/8/15

AE AE ... Prog I ... 9871

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल,बी–विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0
अमित सतीजा
प्रथम सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री अशोक कुमार, म0 न0 डबल्यू जैड–343, नारायणा गॉव, नई दिल्ली–110028.
2. उप निदेशक (राजस्व) के0 / के0उ0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ0प0)– III, अशोक विहार ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाइ ट पर इस आदेश को डालने हेतु।

13/8/11

प्रथम सूचना अधिकारी